



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06052020-219301
CG-DL-W-06052020-219301

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15| नई दिल्ली, अप्रैल 26—मई 2, 2020, शनिवार/वैशाख 6—वैशाख 12, 1942
No. 15| NEW DELHI, APRIL 26—MAY 2, 2020, SATURDAY/ VAISAKHA 6—VAISAKHA 12, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2020

का.आ. 398.—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 764, तारीख 15 मई, 2019 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 18 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 84.14 हेक्टर (लगभग) या 207.91 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है, कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा-वर्णित 84.14 हेक्टर (लगभग) या 207.91 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि, अनुसूची में यथा-वर्णित 84.14 हेक्टर (लगभग) या 207.91 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी-1(ई)III/एफआर/0619-952, तारीख 6 दिसम्बर, 2019 का निरीक्षण कलेक्टर, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या विभागाध्यक्ष या मुख्य प्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, राजस्व विभाग, कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001, महाराष्ट्र के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

सिंगोरी ओपनकास्ट माईन (फेज - II)

नागपुर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

[रेखांक संख्या सी-1 (ई) III/एफआर/0619-952, तारीख 6 दिसम्बर, 2019]

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टर में)			कुल	टिप्पणियां
					निजी	सरकारी	वन		
1.	सिंगोरी	12	पारशिवनी	नागपुर	39.24	0.46	0.00	39.70	भाग
2.	हिंगना (बाराभाई)	12	पारशिवनी	नागपुर	42.21	2.23	0.00	44.44	भाग
कुल :					81.45	2.69	0.00	84.14	

कुल क्षेत्र :- 84.14 हेक्टर (लगभग)

या 207.91 एकड़ (लगभग)

(1) ग्राम सिंगोरी में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक :

52/1/अ/1- 52/1/अ/2- 52/1/ब- 52/1/ब/1- 52/1/ब/2- 52/2, 53/1- 53/2- 53/3- 53/4, 54/1/अ- 54/1/ब- 54/1/क- 54/2, 55, 56, 57/1/अ- 57/1/ब- 57/2- 57/3, 58/1- 58/2- 58/3, 59/1/1- 59/2/ब, 60/1/ब- 60/2/ब- 60/3/अ, 61, 62, 63, 64/1- 64/2, 65, 66/1/1- 66/2/1, 68/1(भाग)- 68/2/ब- 68/3/2, 69,

70, 71/1, 74/1- 74/2- 74/3, 75/1- 75/2, 76/1- 76/2, 77(भाग), 78(भाग), 79/1/ब- 79/2/अ/2, 80/1(भाग), 81/1(भाग), 82/1(भाग), 83/1/1, 73 (भाग) (सरकारी भूमि).

(2) ग्राम हिंगना (बाराभाई) में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक :

9/1- 9/2/1- 9/2/2- 9/2/3- 9/2/4, 10, 11/1- 11/2- 11/3, 204/1- 204/2- 204/3, 205/1, 206/1- 206/2, 207/1- 207/2/अ- 207/2/ब- 207/3/अ- 207/3/ब, 208, 209/1- 209/2, 210, 211/1- 211/2, 212, 213/1- 213/2- 213/3, 214/1/अ- 214/2/अ, 215, 216, 217, 218/1/अ- 218/1/ब- 218/2- 218/3, 219, 220, 221/1- 221/2, 222, 223, 224/1, 228/1, 229/1, 231/1, 232/1- 232/2/अ, सड़क।

(3) महाजेनको भूमि :

205/2, 214/1/ब- 214/2/ब, 224/2, 228/2, 229/2, 231/2, 232/2/ब.

सीमा वर्णन

क - ख : रेखा ग्राम सिंगोरी में प्रारंभिक बिन्दु 'क' से आरंभ होकर पूर्व दिशा से होती हुई ग्राम सिंगोरी एवं हिंगना की सम्मिलित ग्राम सीमा से लगकर गुजरती है फिर ग्राम हिंगना से लगकर होती हुई कच्ची सड़क को पार कर डोरली नाला के पश्चिम तट पर स्थित बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

ख - ग : रेखा बिन्दु 'ख' से आरंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा से होती हुई डोरली नाला के पश्चिम तट से गुजरती है और डोरली नाला के पश्चिम तट पर ग्राम हिंगना एवं ग्राम डोरली की सम्मिलित ग्राम सीमा के निकट स्थित बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

ग - घ : रेखा बिन्दु 'ग' से आरंभ होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा से होती हुई डोरली नाले के पश्चिम तट से होकर ग्राम हिंगना एवं ग्राम डोरली की सम्मिलित ग्राम सीमा से होती हुई, ग्राम हिंगना, डोरली एवं सिंगोरी की ग्राम सीमा संगम पर बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ - ड. : रेखा ग्राम हिंगना, डोरली एवं सिंगोरी की ग्राम सीमा संगम पर स्थित बिन्दु 'घ' से आरंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा से होती हुई सिंगोरी ओपनकास्ट माईन के लिये पूर्व अधिग्रहीत भूमि की बाह्य सीमा से होती हुई तथा ग्राम हिंगना एवं ग्राम सिंगोरी की सम्मिलित ग्राम सीमा से लगकर होती हुई ग्राम सिंगोरी में नाले को पार करती है फिर पश्चिम दिशा से होती हुई ग्राम सिंगोरी में बिन्दु 'ड.' पर मिलती है।

ड. - क : रेखा ग्राम सिंगोरी में बिन्दु 'ड.' से आरंभ होकर उत्तर दिशा से होती हुई ग्राम सिंगोरी में स्थित आरंभिक बिन्दु 'क' पर समाप्त होती है।

[फा. सं. 43015/10/2018-एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 28th April, 2020

S.O. 398.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 764, dated the 15th May, 2019 issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th May, 2019, the Central Government gave notice of its intention to acquire all rights in or over the lands measuring 84.14 hectares (approximately) or 207.91 acres (approximately) in the area specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Maharashtra, is satisfied that the lands measuring 84.14 hectares (approximately) or 207.91 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby declares that all rights in or over the land measuring 84.14 hectares (approximately) or 207.91 acres (approximately) as described in the Schedule, are hereby acquired;

The plan bearing number C-I(E)III/FR/0619-952, dated 6th December, 2019 of the area covered by this notification, may be inspected in the office of the Collector, Nagpur, Maharashtra or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700 001 or in the office of the Head of Department or Chief Manager, Western Coalfields Limited, Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001, Maharashtra.

SCHEDULE

Singori Opencast Mine (Phase II)
Nagpur Area
District Nagpur (Maharashtra)

[Plan bearing number C-I(E)III/FR/0619-952, dated 6th December, 2019]

All Rights :

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Area (in hectares)			Total	Remarks
					Tenancy	Government	Forest		
1.	Singori	12	Parsheoni	Nagpur	39.24	0.46	0.00	39.70	Part
2.	Hingna (Barabhai)	12	Parsheoni	Nagpur	42.21	2.23	0.00	44.44	Part
Total :					81.45	2.69	0.00	84.14	

Total area : 84.14 hectares (approximately)
or 207.91 acres (approximately)

(1) Plot numbers acquired in village Singori :

52/1/A/1- 52/1/A/2 – 52/1/B- 52/1/B/1- 52/1/B/2, 52/2, 53-1- 53/2- 53/3- 53/4, 54/1/A- 54/1/B- 54/1/C, 54/2, 55, 56, 57/1/A- 57/1/B, 57/2, 57/3, 58/1- 58/2- 58/3, 59/1/1- 59/2/B, 60/1/B- 60/2/B- 60/3/A, 61, 62, 63, 64/1- 64/2, 65, 66/1/1- 66/2/1, 68/1 (Part)- 68/2/B- 68/3/2, 69, 70, 71/1, 74/1- 74/2- 74/3, 75/1- 75/2, 76/1- 76/2, 77 (Part), 78 (Part), 79/1/B- 79/2/A/2, 80/1 (Part), 81/1 (Part), 82/1 (Part), 83/1/1, 73 (Part) (Government land).

(2) Plot numbers acquired in village Hingna (Barabhai):

9/1- 9/2/1- 9/2/2- 9/2/3- 9/2/4, 10, 11/1- 11/2- 11/3, 204/1- 204/2- 204/3, 205/1, 206/1- 206/2, 207/1- 207/2/ A-207/2/B- 207/3/A- 207/3/B, 208, 209/1- 209/2, 210, 211/1- 211/2, 212, 213/1- 213/2- 213/3, 214/1/ A-214/2/A, 215, 216, 217, 218/1/A- 218/1/B- 218/2- 218/3, 219, 220, 221/1- 221/2, 222, 223, 224/1, 228/1, 229/1, 231/1, 232/1- 232/2/A, Road.

(3) MAHAGENCO Land :

205/2, 214/1/B- 214/2/B, 224/2, 228/2, 229/2, 231/2, 232/2/B.

Boundary description:

- A – B : Line starts from Point 'A' in village Singori and passes towards East, touches common village boundary of Singori and Hingna villages and goes along the boundary. Then line enters in village Hingna and travels in the South-East direction and touches Kacha Road then passes towards East along the South side of Kaccha Road, crosses Kaccha Road and meets at Point 'B' at the Western side of Dorli Nallah in village Hingna.
- B – C : Line starts from Point 'B' and passes towards South-East direction along the West side of Dorli Nallah and meets at Point 'C' on the Western side of Dorli Nallah near common village boundary of Hingna and Dorli villages.
- C – D : Line starts from Point 'C' and passes in South-West direction along the Western boundary of Dorli Nallah along side of common village boundary of Hingna village and Dorli village and meets near tri-junction Point 'D' of common village boundary of Hingna village, Dorli village and Singori village.
- D – E : Line starts from Point 'D' near Tri-junction point of common village boundary of Hingna village, Dorli village and Singori village and passes towards North-West direction along the outer boundary of already acquired land of Singori Opencast Mine as well as along the common village boundary of Hingna village and Singori village, enters in Singori village, crosses nallah and passes in North-West direction and meets at Point 'E' in Singori village.
- E – A : Line starts from Point 'E' and passes along North direction in Singori village and ends at starting Point 'A' in Singori village.

[F. No. 43015/10/2018-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2020

का.आ. 399.—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 1325, तारीख 18 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii), तारीख 27 जुलाई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 428.64 हेक्टेयर (लगभग) या 1059.19 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विहित की गई उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 428.64 हेक्टेयर (लगभग) या 1059.19 एकड़ (लगभग) माप की उक्त भूमियों के सभी अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/03/2019, तारीख 5 नवंबर, 2019 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला - रामगढ़ और बोकारो, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक कोतरे बसंतपुर पंचमो क्षेत्र, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची - 834001, झारखंड के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची - 834001, झारखंड के कार्यालय में या महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची - 834008, झारखंड में किया जा सकता है।

टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अर्जन के संबंध में आपत्तियाँ, निम्नलिखित उपबंध हैं:-

“8.(1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने के तीस दिनों के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएँ करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएँ केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा, जो प्रतिकर में हित का दावा करने को हकदार होता, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं”।

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 2518, तारीख 27 मई, 1983, जो भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गई थी, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

कोतरे बसंतपुर पंचमो ओसीपी

जिला - रामगढ़ और बोकारो (झारखण्ड)

[रेखांक संख्या आरईवी/03/2019, तारीख 5 नवंबर, 2019]

सभी अधिकार :

क्र.सं.	ग्राम	थाना संख्या	थाना	जिला	क्षेत्र		टिप्पणियां
					हेक्टेयर में	एकड़ में	
1	बसंतपुर	105	मांडू	रामगढ़	107.24	265.00	भाग

2	कोतरे	106	मांडू	रामगढ़	253.33	626.00	भाग
3	हुरदाग	28	गोमिया	बोकारो	15.38	38.00	भाग
4	पचमो	27	गोमिया	बोकारो	32.26	79.71	भाग
5	पुरनापानी	25	गोमिया	बोकारो	20.43	50.48	भाग
कुल:					428.64 हेक्टेयर (लगभग)	1059.19 एकड़ (लगभग)	

1. ग्राम बसंतपुर में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक : 78 (भाग) और 85 (भाग).
2. ग्राम कोतरे में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक : 1,2,3,4 (भाग), 5 से 16, 17 (भाग), 21 (भाग), 22 (भाग), 23 (भाग), 24, 25 (भाग), 27, 28 (भाग), 31,32,33 (भाग), 34 (भाग), 37 (भाग), 38 (भाग) और 17/52.
3. ग्राम हुरदाग में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक : 1 (भाग) और 2 (भाग).
4. ग्राम पचमो में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक : 7 (भाग), 8 (भाग), 9 (भाग), 333 (भाग) और 352 (भाग).
5. ग्राम पुरनापानी में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक : 108 (भाग), 109 (भाग) और 112 (भाग).

भू-अभिलेख के अनुसार अर्जित किए जाने वाली भूमि का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:-

जिला : रामगढ़ (झारखंड) :

ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि का प्रकार	अभिलेख में भूस्वामी का नाम	पिता / पति का अभिलेख में भूस्वामी नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बसंतपुर	105	71	78(भाग)	247.61	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
बसंतपुर	105	71	85(भाग)	17.39	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कुल :			2 प्लॉट का संख्यांक	265.00 एकड़			
कोतरे	106	1	1	100.00	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	1	2	88.62	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	1	3	90.22	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	1	4 (भाग)	81.01	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि

कोतरे	106	1	5	95.25	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	2	6	0.35	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	7	0.85	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	8	0.04	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	9	0.06	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	10	1.50	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	11	0.34	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	12	1.06	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	13	0.11	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	14	0.31	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	15	0.70	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	16	0.31	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	2	17(भाग)	2.15	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	1	21(भाग)	4.94	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	2	22(भाग)	0.30	रैयती	ठाकुर महतो	टौली महतो
कोतरे	106	2	23(भाग)	1.81	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	1	24	0.01	गैर मजरुवा खास	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	5	25(भाग)	0.53	रैयती	सुखलाल महतो इत्यादि	बोधराम महतो
कोतरे	106	2	27	0.32	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	4	28(भाग)	0.41	रैयती	लेदवा कुमार	मएआ रामकुमार
कोतरे	106	1	31	48.00	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	5	32	0.91	रैयती	सुखलाल महतो इत्यादि	बोधराम महतो
कोतरे	106	2	33(भाग)	0.54	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कोतरे	106	1	34(भाग)	37.22	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि

कोतरे	106	1	37(भाग)	59.02	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	1	38(भाग)	8.54	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कोतरे	106	2	17/52	0.57	रैयती	ठाकुर महतो इत्यादि	टौली महतो
कुल:			31 प्लॉट का संख्यांक	626.00 एकड़			

जिला : बोकारो (झारखंड) :

ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि का प्रकार	अभिलेख में भूस्वामी का नाम	पिता / पति का अभिलेख में भूस्वामी नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हुरदाग	28	1	1(भाग)	6.85	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
हुरदाग	28	1	2(भाग)	31.15	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कुल			2 प्लॉट का संख्यांक	38.00 एकड़			
पचमो	27	2	7(भाग)	28.08	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पचमो	27	2	8(भाग)	12.67	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पचमो	27	2	9(भाग)	17.68	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पचमो	27	2	333(भाग)	9.53	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पचमो	27	2	352(भाग)	11.75	अधिसूचित वन और सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कुल			5 प्लॉट का संख्यांक	79.71 एकड़			
पुरनापानी	25	1	108(भाग)	20.00	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पुरनापानी	25	1	109(भाग)	18.13	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
पुरनापानी	25	1	112(भाग)	12.35	अधिसूचित वन	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि
कुल			3 प्लॉट का संख्यांक	50.48 एकड़			

सीमा वर्णन :

ए-बी-सी-डी-ई-एफ-जी-एच-आइ-जे-के-एल-एम-एन-ओ-पी-क्यू-आर-ए	-	रेखा बिन्दु 'ए' से आरंभ होकर ग्राम बसंतपुर के प्लॉट संख्या 85 और 78 ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 1, ग्राम पुरनापानी के प्लॉट संख्या 108, 109 और 112, ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 3,4 और 37, ग्राम हुरदाग के प्लॉट संख्या 1 और 2, ग्राम पचमो के प्लॉट संख्या 7,8, 352, 333, 9 और 7, ग्राम हुरदाग के प्लॉट संख्या 2, ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 38, 37, 34, 31, 33, 28, 27, 25, 23, 22, 17, 52, 21, 10, 7 और 6, ग्राम बसंतपुर के प्लॉट संख्या 78 और 85 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'ए' पर मिलती है।
ए-बी-सी-डी-ई-एफ-जी-एच-आइ-जे-के	-	रेखा बिन्दु 'ए' से आरंभ होकर ग्राम बसंतपुर के प्लॉट संख्या 85 और 78, ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 1, ग्राम पुरनापानी के प्लॉट संख्या 108,109 और 112, ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 3,4 और 37, ग्राम हुरदाग के प्लॉट संख्या 1 और 2, ग्राम पचमो के प्लॉट संख्या 7, 8, 352 और 333 से गुजरते हुए बिन्दु 'के' पर मिलती है, जोकि कोतरे बसंतपुर पचमो ओसीपी के परियोजना रिपोर्ट के अनुसार नयी अधिग्रहण सीमा है।
के-एल-एम-एन-ओ-पी-क्यू	-	रेखा बिन्दु 'के' से आरंभ होकर ग्राम पचमो के 333, 352, 9 और 7, ग्राम हुरदाग के प्लॉट संख्या 2, ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 38, 37, 34, 31, 33, 28, 27, 25, 23, 22, 17, 52 और 21 से गुजरते हुए, पचमो, हुरदाग और कोतरे ग्रामों के भाग {कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन का. आ. 2082, तारीख 30 जून, 1981 के माध्यम से अधिग्रहित हुरदाग ब्लॉक की अधिग्रहण सीमा} की बिन्दु 'क्यू' पर मिलती है।
क्यू-आर-ए	-	रेखा बिन्दु 'क्यू' से आरंभ होकर ग्राम कोतरे के प्लॉट संख्या 21, 10, 7 और 6, ग्राम बसंतपुर के प्लॉट संख्या 78 और 85 से गुजरते हुए, कोतरे और बसंतपुर ग्रामों के भाग {कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन का. आ. 981(अ), तारीख 22 दिसंबर, 1980 के माध्यम से अधिग्रहित बसंतपुर ब्लॉक की अधिग्रहण सीमा} आरंभिक बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

[फा.सं. 43015/15/2018-एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

New Delhi, the 30th April, 2020

S.O. 399.—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1325, dated the 18th July, 2019 published in the in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 27th July, 2019, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 428.64 hectares (approximately) or 1059.19 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to be acquire the land measuring 428.64 hectares (approximately) or 1059.19 acres (approximately) and all rights in or over the said lands as described in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number Rev/03/2019, dated the 5th November, 2019, the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Districts Ramgarh and Bokaro, Jharkhand or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata 700 001 or at the office of the General Manager, Kotre Basantpur Pachmo Area, Central Coalfields Limited, Darbhanga, House, Ranchi – 834001, Jharkhand or General Manager (Land and Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga, House, Ranchi – 834001, Jharkhand or General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834008, Jharkhand.

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act, relating to objection to acquisition, which provides as follows:-

“8. (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceeding held by him, for the decision of the Government.

(3) For the purposes of the section, a person shall be deemed to be interested in land, who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act ”.

Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 2518, dated the 27th May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

KOTRE BASANTPUR PACHMO OCP DISTRICTS - RAMGARH AND BOKARO (JHARKHAND)

[Plan bearing number Rev/03/2019, dated the 5th November, 2019]

All Rights:

Sl. No.	Village	Thana number	Thana	District	Area		Remarks
					In hectares	In acres	
1.	Basantpur	105	Mandu	Ramgarh	107.24	265.00	Part
2.	Kotre	106	Mandu	Ramgarh	253.33	626.00	Part
3.	Hurdag	28	Gomia	Bokaro	15.38	38.00	Part
4.	Pachmo	27	Gomia	Bokaro	32.26	79.71	Part
5.	Purnapani	25	Gomia	Bokaro	20.43	50.48	Part
Total :					428.64 hectares (approximally)	1059.19 acres (approximally)	

1. Plot numbers to be acquired in village Basantpur : 78(P) and 85(P).

2. Plot numbers to be acquired in village Kotre : 1,2,3,4 (P), 5 to 16, 17(P), 21(P),22(P), 23(P), 24, 25(P), 27, 28(P), 31,32,33(P),34(P),37(P),38(P) and 17/52.

3. Plot numbers to be acquired in village Hurdag: 1(P) and 2(P).

4. Plot numbers to be acquired in village Pachmo: 7(P), 8(P),9(P), 333(P) and 352(P).

5. Plot numbers to be acquired in village Purnapani: 108(P), 109(P) and 112(P).

Details of land to be acquired with land records is given in the table below:-

District: Ramgarh (Jharkhand):

Village	Thana number	Khata number	Plot number	Intention to acquire the area (in acres)	Class of land	Name of recorded Tenant	Father's / Husband's name of recorded Tenant
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Basantpur	105	71	78(P)	247.61	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Basantpur	105	71	85(P)	17.39	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Total:		2 numbers of plots		265.00 acres			
Kotre	106	1	1	100.00	Notified Forest	Government Land	Government Land
Kotre	106	1	2	88.62	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Kotre	106	1	3	90.22	Notified Forest	Government Land	Government Land
Kotre	106	1	4(P)	81.01	Notified Forest	Government Land	Government Land
Kotre	106	1	5	95.25	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Kotre	106	2	6	0.35	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	7	0.85	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	8	0.04	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	9	0.06	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	10	1.50	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	11	0.34	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	12	1.06	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	13	0.11	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	14	0.31	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	15	0.70	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	16	0.31	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	17(P)	2.15	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	1	21(P)	4.94	Government Land	Government Land	Government Land
Kotre	106	2	22(P)	0.30	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	2	23(P)	1.81	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	1	24	0.01	GMK	Government Land	Government Land
Kotre	106	5	25(P)	0.53	Tenancy	Sukhlal Mahto etc.	Bodhram Mahto
Kotre	106	2	27	0.32	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	4	28(P)	0.41	Tenancy	Ledwa Kumar	Maea

							Ramkumar
Kotre	106	1	31	48.00	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Kotre	106	5	32	0.91	Tenancy	Sukhlal Mahto etc.	Bodhram Mahto
Kotre	106	2	33(P)	0.54	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Kotre	106	1	34(P)	37.22	Notified Forest	Government Land	Government Land
Kotre	106	1	37(P)	59.02	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Kotre	106	1	38(P)	8.54	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Kotre	106	2	17/52	0.57	Tenancy	Thakur Mahto etc.	Touli Mahto
Total:		31 numbers of plots		626.00 acres			

District: Bokaro (Jharkhand):

Village	Thana number	Khata number	Plot number	Intention to acquire the area (in acres)	Class of land	Name of recorded Tenant	Father's / Husband's name of recorded Tenant
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Hurdag	28	1	1(P)	6.85	Notified Forest	Government Land	Government Land
Hurdag	28	1	2(P)	31.15	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Total:		2 numbers of plots		38.00 acres			
Pachmo	27	2	7(P)	28.08	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Pachmo	27	2	8(P)	12.67	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Pachmo	27	2	9(P)	17.68	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Pachmo	27	2	333(P)	9.53	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Pachmo	27	2	352(P)	11.75	Notified Forest and Government Land	Government Land	Government Land
Total:		5 numbers of plots		79.71 acres			
Purnapani	25	1	108(P)	20	Notified Forest	Government Land	Government Land
Purnapani	25	1	109(P)	18.13	Notified Forest	Government Land	Government Land
Purnapani	25	1	112(P)	12.35	Notified Forest	Government Land	Government Land
Total:		3 numbers of plots		50.48 acres			

Boundary Description:

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J- K-L-M-N-O-P-Q-R-A	-	Line starts from point 'A' and passes through plot numbers 85 and 78 of village Basantpur, plot no. 1 of village Kotre, plot no. 108, 109 and 112 of village Purnapani, plot numbers 3, 4 and 37 of village Kotre, plot number 1 and 2 of village Hurdag, plot numbers 7, 8, 352, 333, 9 and 7 of village Pachmo, plot number 2 of village Hurdag, plot numbers 38, 37, 34, 31, 33, 28, 27, 25, 23, 22, 17, 52, 21, 10, 7 and 6 of village Kotre, plot no. 78 and 85 of village Basantpur and meets at starting point 'A'.
A-B-C-D-E-F-G-H- I-J-K	-	Line starts from point 'A' and passes through plot no. 85 and 78 of village Basantpur, plot no. 1 of village Kotre, plot numbers 108, 109 and 112 of village Purnapani, plot numbers 3, 4 and 37 of village Kotre, plot number 1 and 2 of village Hurdag, plot numbers 7, 8, 352 and 333 of village Pachmo and meets at point 'K', which is new acquisition boundary as per Project Report of Kotre Basantpur Pachmo OCP.
K-L-M-N-O-P-Q	-	Line starts from point 'K' and passes through plot numbers 333, 352, 9 and 7 of village Pachmo, plot no. 2 of village Hurdag, plot numbers 38, 37, 34, 31, 33, 28, 27, 25, 23, 22, 17, 52 and 21 of village Kotre and meets at point 'Q', (part village of Pachmo, Hurdag and Kotre) [Acquisition boundary line of Hurdag Block under section 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957, number S.O. 2082, dated 30 th June, 1981].
Q-R-A	-	Line starts from point 'Q' and passes through plot numbers 21, 10, 7 and 6 of village Kotre, plot number 78 and 85 of village Basantpur and meets at starting point 'A', part village of Kotre and Basantpur [Acquisition Boundary Line of Basantpur Block under section 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 number S.O. 981(E), dated 22 nd December, 1980.]

[F. No. 43015/15/2018-LA & IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.